



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042024-253569
CG-DL-E-05042024-253569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946

No. 1545]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

का.आ. 1628(अ).—जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1296(अ) तारीख 12 मार्च, 2024 द्वारा एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. 14017/25/2024/NI-MFO]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2024

S.O. 1628(E).—Whereas, Jammu Kashmir National Front (JKNF) has been declared as an unlawful association, *vide* notification number S.O. 1296(E), dated the 12th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (1) of section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Justice Neena Bansal Krishna, Judge, High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Jammu Kashmir National Front (JKNF) as an unlawful association.

[F. No.14017/25/2024/NI-MFO]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.